आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

11.10.19

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्बिट्रेटर, धनबाद
आर्बिट्रेशन केश नं0–26/2019

वियाकत अंसारी —बनाम— भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचाँची अंचल अन्तर्गत मौजा–लेदाटांड, थाना नं0–166, खाता नं0–149 प्लॉट नं0–88 भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीयउच्च पथ–02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र एवं स्वयं उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि अर्जित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। अर्जित भूमि पर होटल एवं मकान बना हुआ है, जिसका मुआवजा राशि अभी तक भुगतान नहीं किया है। आवेदक द्वारा भूमि पर अवस्थित संरचना यथा मकान, दुकान इत्यादि का मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित एवं बहस के दौरान कहा गया कि 3A के अनुसार ही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। 3A के अधिसूचना के बाद किसी भी बदलाव के लिए सरकार मुआवजा की देनदार नहीं है।

इस कार्यालय का पत्रांक–1920/रा0, दिनांक–30.07.2019 के द्वारा प्रस्तुत पक्ष के आलोक में अंचल अधिकारी, तोपचाँची का पत्रांक–598, दिनांक–30.07.19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत् है :–

1.अर्जित भूमि का मुआवजा राशि क भुगतान किया गया है, जबकि NH द्वारा अधिग्रहित भूमि पर मकान मय तथा होटल अवस्थित, जो व्यवसायिक है।

2.आवासीय भूमि का भुगतान किया गया है, जबकि अर्जित भूमि पर मकानमय तथा होटल है।

3.अधिग्रहित भूमि का अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व मकानमय एवं होटल था एवं वर्त्तमान में मकानमय एवं होटल संचालित है।

4.अर्जित भूमि एवं अवस्थित मकान का भुगतान किया गया है, जबकि व्यवसाय यानी होटल का होना चाहिए।

5.मौजा–लेदाटांड, मौजा नं0–166, खाता नं0–86, खतियानी रकवा–14 डी0 NH 2 में अर्जित रकवा–0.0649 एकड़ है। अर्जित भूमि की जाँच किया गया, दुकान एवं होटल अभी भी अवस्थित है। NH 02 के द्वारा अर्जित भूमि में होटल तथा मकान भी कुछ हिस्सा आ रहा है, जिसमें होटल की लम्बाई 38 फीट, चौड़ाई 5 फीट NH 02 द्वारा अधिग्रहित भूमि आ रहा है, तथा दुकान का हिस्सा 12 फीट लम्बा तथा चौड़ाई 03 फीट NH 02 द्वारा अधिग्रहित भूमि में आ रहा है। दुकान का छज्ज करकट शीट तथा होटल भी करकट शीट का बना हुआ है। सरकारी नजर में मकान दर्ज है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद/NHAI को निदेश दिया जाता है कि अर्जित भूमि पर अवस्थित संरचनाओं का जाँच कर 3 A के अनुसार यदि अतिरिक्त मुआवजा राशि देय हो तो भुगतान करना सुनिश्चित करें। अधिसूचना निर्गत करने की तिथि के बाद कोई भी बदलाव के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर) 11/10/19

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 11/10/19

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।